न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 253/2013

सायल :- बनाम गै0सा0:-

1. मंदिर श्री जैनराज उर्फ जानकीनाथ शाश्वत नाबालिग जरिये पुजारी जाति-वैष्णव, निवासी-पीपाडा तहसील-जैतारण जिला-पाली

1. नारायण दत्तक पुत्र रामू
2. भागुराम पुत्र उगराराम जाति जाट निवासी-बेरा रिणवा, आ0कालू
3. भीकसिंह पुत्र सज्जनसिंह जति-राजपूत, निवासी-घोडावड
4. उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण
5. तहसीलदार जैतारण तहसील-जैतारण जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:. 16/09/2013

उपस्थितः- 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, सायल।
2. श्री महेन्द्र गुर्रा, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 16/06/2015

वकील मय सायल ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि गांव आकोदिया के भोमियाँ राजपूतों के पूर्वजों ने आज से 300 वर्षो पूर्व ग्राम-पीपाडा में जैनराज उर्फ जानकीनाथ मंदिर बनवाया, जिसमें भगवान ठाकुरजी, रामजी आदि की मूर्तिया प्रतिस्थापित की तथा मंदिर में स्थित भगवान की सेवा, पूजा, अर्चना, भोग व मंदिर के रख रखाव आदि के लिये इस मंदिर के पीछे कृषि भूमि भी दान की तथा इस मंदिर में स्थित भगवान की पूजा, अर्चना, भोग तथा मंदिर की देखरेख आदि के लिये पीढियों से अर्थात परम्परागत पुजारी पूजा करते आ रहे है तथा वर्तमान में इस मंदिर में स्थित भगवान की सेवा, पूजा, अर्चना, भोग आदि नियमित रुप से पुजारी पुरुषोतमदास कर रहे हैं। सरहद मौजा-आकोदिया, तहसील-जैतारण में खसरा नंबर 56 रकबा 01 बीघा, ख0नं0 57 रकबा 34-04 बीघा, कुल किता-2 कुल रकबा 35-04 बीघा किस्म बारानी दोयम गैरसायलान के नाम जमाबंदी के नाम जमाबंदी में इन्द्राज है जो एक रोंग एंट्री चला आ रहा हैं। जो काबिल दुरुस्त के है, नकल जमाबंदी संवत 2068 से 2071 की पेश हैं। पद संख्या दो में दर्ज कृषि में वक्त सैटलमेन्ट पर्चा खतौनी संवत 2007 व 2008 व म्यूटेशन संख्या 01 में भी सायल मंदिर के नाम की खातेदारी में खुद काश्त के नाम दर्ज है। जो एक शाश्वत नाबालिग है तथा काश्तकार के रुप में गैरसायल संख्या एक के पिता व गैरसायल संख्या दो के पिता का नाम दर्ज है, जो भी एक गलत इन्द्राज है जबकि उक्त कृषि भूमि में वक्त सैटलमेन्ट से आज दिन तक इस कृषि भूमि में वर्तमान में पुजारी पुरुषोतमदास व इनके पूर्व इनके पूर्वज काश्त करते आ रहे हैं। उक्त कृषि भूमि में कोई भी काश्त करता है तो वह काश्त स्वयं भगवान द्वारा की हुई मानी जाती है तथा वक्त सैटलमेन्ट संवत 2007 व 2008 से आज दिन तक उक्त कृषि भूमि पर सायल मंदिर श्री भगवान जैनराज जी उर्फ जानकीनाथ का ही कब्जा व काश्त निरन्तर रुप से बिना किसी रोकटोक के गैरसायलान की जानकारी में चला आ रहा हैं, उक्त भूमि पर मंदिर श्री भगवान की और से पुजारी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

मूरलीदास पुत्र मानदास व उनकी मृत्युपरान्त उनके पुत्रान कल्याणदास अम्बादास मदनदास तथा वर्तमान में पुजारी पुरुषोतमदास काश्त करते है तथा काश्त से होने वाली आय से मंदिर में स्थित भगवान की सेवा, पूजा, अर्चना, भोग आदि करते है तथा मंदिर की देखरेख, सार संभाल मरम्मत आदि का भी खर्चा करता है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के एक मात्र खातेदार व स्वामित्व सायल का ही चला आ रहा हैं। उक्त कृषि भूमि वक्त सैटलमेन्ट में जारी पर्चा खतौनी संवत 2007 व 2008 में उक्त भूमि बतौर खुद काश्त काश्त के सायल के नाम दर्ज है तथा काश्त के रुप में काश्तकार गैरसायल संख्या एक व दो के पिता एक में भी उक्त भूमि सायल मंदिर के नाम बतौर खुद काश्त के दर्ज है, परन्तु जमाबंदी संवत 2019 से 2022 में उक्त कृषि भूमि के कॉलम संख्या 05 में रामू, उगरीयां पिसरान माधव जाट साकिन कालू ढाणी लिलरिया खातेदार दर्ज है, जो बिना किसी म्यूटेशन बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से दर्ज है, उक्त गलत इन्द्राज वर्तमान जमाबंदी तक दर्ज है, सायल के हक व अधिकार तथा कब्जे की भूमि में बिना किसी आधार के विधि विरुद्ध तरिके से मंदिर की भूमि हडपने की उद्देश्य से राजस्व कर्मचारीयों व अधिकारीयो से मिलकर सायल का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाकर अपने नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाया वह इन्द्राज शून्य है, जो गलत व गैरकानूनी है। ऐसे गैरकानूनी व शून्य इन्द्राज के आधार पर गैरसायल संख्या तीन को कोई विधिक अधिकार उत्पन्न नहीं होते है, मंदिर भूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति को कोई खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होते है, मंदिर में स्थित भगवान शाश्वत नाबालिग है, इस प्रकार गैरसायल संख्या एक से तीन के पक्ष में जो इन्द्राज नामान्तरणकरण भरा जो गलत है तथा कानून की निगाह में शून्य होने से खारीज किया जावें तथा सायल के पक्ष में नामान्तरणकरण भरा जाकर सायल का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाना आवश्यक हैं। इस प्रकार नामान्तरणकरण संख्या 233 दिनांक 10/04/2013 को उगरा के वारीसान के नाम इन्द्राज किया, जो गलत है व काबिल दुरुस्त के है। उक्त कृषि भूमि गैरसायल संख्या एक के पिता रामू व दो के पिता उगराराम के नाम दर्ज होने के बाद इनके वारीसान के नाम दर्ज होने पर उगरा के वारीसान जसाराम, रतनाराम, गेरीदेवी व गेवरीदेवी ने अपना हिस्सा जरिये विक्रय विलेख के गैरसायल संख्या तीन भीकसिंह को बैचान कर दिया व जरिये म्यूटेशन संख्या 237 दिनांक 05/07/2013 को गैरसायल संख्या तीन के नाम जमाबंदी में इन्द्राज हो गया, जो गलत व अवैध है, क्योकि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में एक मात्र खातेदार काश्तकार सायल ही है तथा सायल के नाम वक्त सैटलमेन्ट से पर्चा खतौनी में इन्द्राज है, सायल भगवान जो कि एक शासवत नाबालिग है जिसकी कृषि भूमि मको कानूनन बेची भी नही जा सकती हैं, न ही केता को उक्त कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार मिलते है। इस प्रकार किया गया बैचान भी कानून की निगाह में शून्य है व बेचान स्वतः ही रद्ध हैं। इस प्रकार म्यूटेशन संख्या 01, 233, 237 पारित किये गये है, जो सायल के हितो के विरुद्ध बेअसर व शून्य है, जो काबिल निरस्त/अपास्त के हैं। प्रार्थनापत्र में वर्णित कृषि भूमि वक्त सैटलमैन्ट पर्चा खतौनी में मंदिर श्री जैनराज जी उर्फ जानकीनाथ के नाम दर्ज हैं तथा एक खातेदार काश्तकार व कब्जा काश्त है। जिसकी कृषि भूमि में गैरसायलान को कोई हक व अधिकार नहीं मिलते है, उक्त भूमि पर कभी भी गैरसायलान का कब्जा काश्त भी नहीं रहा है, गैरसायलान दिनांक 18/08/2013 को सायल ले जायेगे तथा तुम्हे कब्जे से बेदखल करेगें व उक्त भूमि खाते में हमारे नाम दर्ज होने से बैचान हस्तान्तरण रहन आदि करेगें। यदि गैरसायलान मात्र मंदिर श्री भगवान के नाम की कृषि भूमि को मात्र

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

गलत नाम इन्द्राज होने के आधार पर बैचान हस्तान्तरण, रहन कर देते है व बोई फसल को काटकर ले जाते है या नष्ट कर देते है, तो सायल को अपने जायज हक व अधिकारों से महरुम होना पडेगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं हो सकेगी व पक्षकारान के बीच अनावश्यक मुकदमेंबाजी बढेगी। जिसे रोके जाने हेतु तथा सायल का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु सायल ने वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश किया हैं। सायल को गैरसायलान के नाम राजस्व रेकर्ड में जानकारी दिनांक 24/07/2013 को राजस्व रेकर्ड की नकल लेने पर हुई। गैरसायलान मात्र गलत इन्दाज होने के आधार पर उक्त कृषि भूमि किसी अजनबी केता को बैचान हस्तान्तरण बाबत विकय विलेख गैरसायल संख्या चार के समक्ष पेश करे, तो केता के पक्ष में उसका पंजीयन नहीं करें तथा दौराने प्रार्थना पत्र पंजियन कर देवे, तो गैरसायल संख्या पांच केता के पक्ष में म्यूटेशन पारित नही करें जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें। तथ्यों, परिस्थितियों, व दस्तावेज तथा मौके पर कब्जा काश्त से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का संतुलन हर दृष्टिकोण से सायल के पक्ष में बखूबी साबित हैं। अगर गैरसायलान अपने राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम के आधार पर उक्त कृषि भूमि का बैचान हस्तान्तरण रहन आदि कर देते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी तथा विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होगी, जिसकों रोके जाने हेतु सायल के पक्ष में व गैरसायलान के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत हैं।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। गै0सा0 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अट्ल सेवा केन्द्र-फालका में पेश हुई। वकील गै0सा0 को जबाब पेश करने का समय दिया गया। बार-बार समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। सायल के पक्ष में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 16/09/2013 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो चुकी हैं। उक्त विवादित भूमि की राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा-आकोदिया, तहसील-जैतारण में खसरा नंबर 56 रकबा 01 बीघा, ख0नं0 57 रकबा 34-04 बीघा, कुल किता-2 कुल रकबा 35-04 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि की राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु गै0सा0 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से वाद के निर्णय तक रोका जाकर पाबन्द किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 16/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अट्ल सेवा केन्द्र-फालका पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner